लोक सभा सचिवालय
शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लाडिंस (ई एण्ड एफ) 2014/आईबी-06

जुलाई 2014

संसद में बजट प्रक्रिया

देश की वित्तीय तथा आर्थिक प्राथमिकताओं को नियमित करने और पुनर्निरूपित करने के लिए सरकार के हाथों में बजट एक शक्तिशाली नीतिगत दस्तावेज है। बजट न केवल वृहत् आर्थिक स्थिरता लाने वाला एक उपाय है अपितु विकास को बढ़ाने, गरीबी को कम करने और रोजगार का सृजन करने संबंधी विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी एक तंत्र है। यह सरकार के वृहत् आर्थिक और वित्तीय उद्देश्यों को दर्शाने के साथ-साथ देश की प्रगति, समृद्धि और लोगों के कल्याण के लिए अपनी वचनबद्धता को भी दर्शाता है।

संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार बजट अथवा वार्षिक वित्तीय विवरण जो भारत सरकार की उस वित्तीय वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों का विवरण होता है, को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। अतः संसद की अनुमति के लिए बजट को तैयार करने और प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की एक संवैधानिक बाध्यता है। संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि में से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। अतः, देश के वित्तीय मामलों के संबंध में संसद का प्रभावी नियंत्रण होता है।

बजट का प्रस्तुतीकरण

बजट सभा में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाता है जैसा कि राष्ट्रपति निदेश दें। बजट सत्र प्रारंभ होने से लगभग एक पखवाड़ा पहले सरकार बजट सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के लिए तिथियों से संबंधित एक अस्थायी कार्यक्रम लोक सभा सचिवालय को अग्रेषित करती है जिसमें रेल बजट और सामान्य बजटों के प्रस्तुतीकरण की तिथियों का भी उल्लेख होता है। अध्यक्ष द्वारा बजट को प्रस्तुत किए जाने की तिथियों के अनुमोदन के पश्चात् लोक सभा के महासचिव द्वारा इस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इन तिथियों का अनुमोदन कर दिए जाने के बाद सदस्यों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए समाचार भाग-दो में एक पैरा प्रकाशित किया जाता है।

बजट को लोक सभा में दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है:

(एक) रेल बजट, जोकि रेल वित्त से संबंधित होता है; और

(दो) सामान्य बजट, जो रेलवे को छोड़कर भारत सरकार की वित्तीय स्थिति का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है।

बजट प्रस्तुत करते समय, संबद्ध मंत्री अर्थात् रेल मंत्री अथवा वित्त मंत्री, जैसी भी स्थिति हो, अपना बजट भाषण देता है और संबद्ध मंत्री द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। उस समय बजट पर कोई चर्चा नहीं होती। लोक सभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उसकी एक प्रति राज्य सभा के पटल पर भी साथ-साथ रखी जाती है।

सामान्य बजट प्रस्तुत करने के बाद वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और तत्पश्चात् लोक सभा दिन भर के लिए स्थगित हो जाती है। सभा में सामान्य बजट प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रश्नकाल नहीं होता। तथापि, रेल बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् सभा दिन भर के लिए स्थगित नहीं होती।

सरकार सभा में एक से अधिक बजट अथवा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकती है। चुनावी वर्ष में, बजट (रेल और सामान्य) दो बार— प्रारंभ में कुछ महीनों के लिए लेखानुदान और बाद में पूरे वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। चुनाव के पश्चात् सरकार की सुविधानुसार किसी दिन एक समग्र बजट प्रस्तुत किया जा सकता है।

बॉक्स 1: बजट के महत्वपूर्ण पदों की शब्दावली

अनुदानों की मांगें: भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय (मंत्रालयों/विभागों) के प्राक्कलन के विवरण। भारत की संचित निधि पर 'भारित' व्यय के अतिरिक्त व्यय प्राक्कलन के लिए लोक सभा की स्वीकृति अनिवार्य होती है।

लेखानुदान: किसी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में पहले से किए गए अनुदान जिनके संबंध में अंतिम मांगों पर मतदान लंबित है। लेखानुदान के अंतर्गत आम तौर पर दो माह की अवधि शामिल होती है। तथापि, चुनाव के वर्ष के दौरान लेखानुदान लंबी अवधि के लिये लिया जाता हैं।

वित्तीय नीति: वित्तीय नीति सरकारी व्यय और/अथवा अर्थव्यवस्था में औसत मांग के स्तर को नियंत्रित/प्रभावित करने हेतु निर्धारित कराधान में परिवर्तन करने के संबंध में है। सरकारें आम तौर पर कराधान में व्यय की राशि और बजट घाटे अथवा अतिरिक्त बजट के आकार में परिवर्तन लाती है जो सरकारी व्यय को प्रभावित करता है।

भारत की संचित निधि: भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्वों, इसके द्वारा लिए गए ऋणों और इसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से प्राप्त राशि से भारत की संचित निधि बनती है।

भारत की आकस्मिकता निधि: यह ऐसी निधि है जिसका उपयोग सरकार आपातकाल में करती है ताकि अविलंबनीय आकस्मिक व्यय को पूरा किया जा सके जिस पर संसद की स्वीकृति लेनी होती है। इस समय इसकी आधारभूत निधि 500 करोड़ रु. की है।

लोक लेखा: इस खाते में उस धन को रखा जाता है, जो लेन-देन से प्राप्त होता है और यह संचित निधि से संबंधित नहीं है।

भारत की संचित निधि पर 'भारित' व्यय: राष्ट्रपति, राज्य सभा के सभापति, लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संदेय पेंशन, सरकार के ऋण प्रभार, न्यायालय की डिक्रियों के भुगतान आदि भारत की संचित निधि पर 'भारित' हैं। ये व्यय संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते हैं। तथापि, दोनों सदन इन मदों पर चर्चा कर सकते हैं।

प्राप्ति बजट: प्राप्ति बजट में (एक) राजस्व प्राप्तियां और (दो) पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। जबकि राजस्व प्राप्तियां सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व के प्राक्कलनों को स्पष्ट करती हैं जैसे कर राजस्व और गैर-कर राजस्व, पूंजी प्राप्तियां जिसमें बाजार ऋण, विदेशी ऋण, छोटी बचतें, सरकारी भविष्य निधि और विभिन्न जमा लेखाओं में छोटी-छोटी राशि प्राप्त होना शामिल हैं।

व्यय बजट: इसमें राजस्व और पूंजी शीर्षों के अंतर्गत योजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए व्यय प्राक्कलन शामिल है। इन प्राक्कलनों को एक साथ लाया जाता है और मुख्य शीर्ष के अंतर्गत एक स्थान पर निवल आधार पर दर्शाया जाता है।

निष्पादन बजट: कार्योत्तर आधार पर तैयार किया गया बजट जिसमें सरकारी कार्यक्रमों के वास्तविक परिणामों की तुलना उनकी उस लागत के साथ की जाती है जो प्राप्त किए गए वास्तविक स्तर पर व्यय की जानी चाहिए थी। वर्ष 2007-08 से निष्पादन बजट को परिणामी बजट में मिला दिया गया।

परिणामी बजट: परिणामी बजट में सभी सरकारी कार्यक्रमों के विकास संबंधी परिणामों को दर्शाया जाता है। परिणामी बजट वास्तव में सरकार द्वारा किए गए खर्च और उसके आने वाले परिणामों के बीच कड़ी का काम करता है।

छोड़ा गया राजस्व: कर का स्तर और वितरण अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं; विशेष कर दरें, छूट, कटौती, रियायत, आस्थगित अदायगी और ऋण। कभी-कभी इन उपायों को कर रियायतें कहा जाता है, इन्हें रियायत दिए गए करदाताओं को राजसहायता भुगतान माना जा सकता है। ऐसे अस्पष्ट भुगतानों को छोड़ा गया राजस्व कहा जाता है। छोड़े गये राजस्व संबंधी विवरण में कर प्रोत्साहन अथवा कर राजसहायता के राजस्व प्रभाव, जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का एक भाग है, शामिल हैं।

पूंजीगत/राजस्व व्यय: भूमि, भवन, मशीनरी और उपस्कर जैसी स्थायी स्वरूप की विद्यमान परिसंपत्तियां प्राप्त करने के ध्येय से किए गए व्यय को मोटे तौर पर पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरी ओर, राजस्व व्यय का आशय सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य रूप से कार्य करने, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर वसूल किया गया ब्याज और राजसहायता इत्यादि है।

योजनागत/गैर-योजनागत व्यय: योजनागत व्यय में केंद्र सरकार का केंद्रीय योजनाओं और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय योजना सहायता पर हुआ व्यय शामिल है। गैर-योजनागत व्यय में वे व्यय शामिल होते हैं जो सरकार की योजनाओं का भाग नहीं होते हैं। इन व्ययों में ब्याज भुगतान पर व्यय, रक्षा व्यय, राज सहायता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और विदेशी सरकारों को ऋण के साथ-साथ अनुदान शामिल हैं।

गिलोटिन: यह बिना चर्चा किए सभा द्वारा शेष मांगों पर मतदान कर वित्तीय प्रस्तावों संबंधी चर्चा को समाप्त करने का एक उपाय है।

विनियोग विधेयक: एक विधेयक जो, लोक सभा द्वारा अनुमोदित अनुदानों को पूरा करने हेतु अपेक्षित धन का भारत की संचित निधि से सरकार द्वारा धन निकाले जाने अथवा विनियोग के लिए स्वीकृति हेतु संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो बजट में दर्शाई गई राशि से अधिक न हो, शामिल होता है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे संसद लोक सभा द्वारा अनुदानों की मांगों पर मतदान किए जाने के पश्चात् अनुमोदित करती है।

वित्त विधेयक: इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नए कराधान, विद्यमान कर ढांचे में संशोधन अथवा विद्यमान कर ढांचे को जारी रखने के लिए सरकार के प्रस्ताव शामिल होते हैं। धन विधेयक होने के कारण वित्त विधेयक को लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे सिफारिश हेतु राज्य सभा को भेजा जाता है।

रेल बजट

रेल बजट रेल मंत्री द्वारा लोक सभा में फरवरी के तीसरे सप्ताह में किसी दिन सामान्य बजट प्रस्तुत किए जाने के पहले प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य बजट से रेल वित्त को 1925 में अलग किया जब पहली बार अलग रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। इस तरह अलग-अलग बजट प्रस्तुत किए जाने के पीछे यह सोच थी कि रेल राजस्वों से एक सुनिश्चित योगदान की व्यवस्था करके सिविल प्राक्कलनों के लिए स्थायित्व को सुरक्षित किया जाए और रेल वित्त के प्रशासन में नम्यता लाई जाए।

रेल बजट में सामान्यत: निम्नलिखित दस्तावेज होते हैं—

(क) रेल बजट प्रस्तुत करने वाले रेल मंत्री का भाषण

(ख) बजट पत्रों का संक्षिप्त परिचय

(ग) केंद्र सरकार के रेल राजस्व और व्यय का बजट

(घ) रेल बजट पर व्याख्यात्मक ज्ञापन

(ङ) रेल बजट में मालभाड़े की दरों और किराए में समायोजन के प्रस्तावों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

(च) अनुदानों की मांगें (रेलवे)–भाग एक और दो

(छ) रेलवे का कार्यों, मशीनरी और चल स्टॉक कार्यक्रम

भाग-एक/(सारांश)

भाग-दो/क और ख (रेलवे का विस्तृत कार्यक्रम)

(ज) रेलवे का परिणामी और कार्य निष्पादन बजट

(झ) भारतीय रेल संरक्षा निष्पादन

(ञ) भारतीय रेल–वार्षिकी (ईयर-बुक)

(ट) भारतीय रेल–वार्षिक रिपोर्ट और लेखे

सामान्य बजट

परिपाटी के अनुसार, सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रति वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 1999 से पहले, सामान्य बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को अपराह्न 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। तथापि, वर्ष 1999 में सामान्य बजट पूर्वाह्न 11 बजे और वर्ष 2000 में अपराह्न 2 बजे प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2001 से सामान्य बजट को अपराह्न 5 बजे के बजाय पूर्वाह्न 11 बजे प्रस्तुत किए जाने की प्रथा का पालन किया जा रहा है।

सामान्य बजट की विषय वस्तु

सामान्य बजट सभा में ऐसे रूप में रखा जाता है जिसे वित्त मंत्री प्राक्कलन समिति के सुझावों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद अंतिम रूप देते हैं। वास्तव में, प्राक्कलन समिति समय-समय पर अनुदानों की मांगों और उसकी विषय वस्तु के रूप में परिवर्तनों का सुझाव देती है।

सामान्य बजट में सामान्यत: निम्नलिखित दस्तावेज होते हैं–

(क) वित्त मंत्री का भाषण (भाग क और भाग ख)[1]

(ख) बजट की प्रमुख विशेषताएं

(ग) बजट एक नजर में

(घ) वार्षिक वित्तीय विवरण

(ङ) वित्त विधेयक

(च) केंद्र सरकार की अनुदानों की मांगें (रेलवे को छोड़कर)

(छ) वित्त विधेयक में किए गए उपबंधों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

(ज) एफआरबीएम विवरण[2]

(एक) वृहत आर्थिक रूप-रेखा विवरण

(दो) मध्यावधि वित्तीय नीतिगत विवरण

(तीन) वित्तीय नीतिगत कार्ययोजना विवरण

(झ) बजट पत्रों का संक्षिप्त परिचय

(ञ) व्यय बजट, खंड-1 (व्याख्यात्मक ज्ञापन और योजनागत बजट समावेशन)

(ट) व्यय बजट, खंड-2 (अनुदानों की मांगों संबंधी टिप्पणी का समावेशन)

(ठ) प्राप्ति बजट

(प्राप्तियों, ऋण की वसूली, अन्य पूंजीगत प्राप्तियां और केंद्र सरकार की ऋण की स्थिति का समावेशन)

(ड) छोड़ा गया राजस्व विवरण

(ढ) बजट घोषणाओं का कार्यान्वयन

उपर्युक्त पत्रों/विवरणों को सभा पटल पर रखने के तत्काल बाद वित्त मंत्री लोक सभा में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू कराने हेतु वित्त विधेयक पुर:स्थापित करते हैं।

संक्षिप्त रूप से बजट में (एक) पूर्व वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय सहित उस वर्ष के लोक वित्त की समीक्षा, (दो) चालू वर्ष की प्राप्तियों का प्राक्कलन और व्यय, और (तीन) आगामी वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रस्ताव अंतर्विष्ट होते हैं। तदनुसार, बजट में सरकार के

---

[1] वित्त मंत्री के बजट भाषण को दो भागों में विभाजित किया जाता है: बजट भाषण के भाग क में सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण और वर्ष के दौरान आर्थिक स्थिति का और आगामी वर्ष की संभावनाओं के समग्र आकलन का वर्णन होता है। बजट भाषण के भाग ख में कराधान प्रस्ताव होते हैं अर्थात् आगामी वर्ष हेतु कराधान और राजस्व के अन्य स्रोतों में परिवर्तन।

[2] राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 के साथ-साथ वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदानों की मांगें—(एक) वृहत आर्थिक रूप-रेखा विवरण, (दो) मध्यावधि वित्तीय नीतिगत विवरण, और (तीन) वित्तीय नीतिगत कार्ययोजना विवरण को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखना जरूरी है। तदनुसार वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष उपर्युक्त विवरण सभापटल पर रखे जाते हैं।

आगामी तीन वर्षों की प्राप्तियों और व्यय को निर्धारित किया जाता है। इसमें (एक) पूर्व वर्ष के वास्तविक आंकड़े; (दो) चालू वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलन; और (तीन) आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन का उल्लेख किया जाता है।

संविधान के अंतर्गत व्यय की कतिपय मदें यथा राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते; राज्य सभा के सभापति और उपसभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन; उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को संदेय पेंशन; सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान पर ब्याज और न्यायालयों की डिक्री की तुष्टि के लिए भुगतान आदि भारत की संचित निधि पर 'भारित' होते हैं। भारित मदों को वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक से दर्शाया जाता है।

पूंजी बजट और राजस्व बजट

संविधान के उपबंधों के अनुसार बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से पृथक रखा जाता है। किसी संगठन में उपयोग हेतु स्थायी प्रकृति की विद्यमान परिसंपत्तियों, जिन्हें सामान्य रूप से बेचा न जा सके, के अर्जन अथवा विद्यमान परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए सार्थक व्यय को मोटे तौर पर पूंजी व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुरक्षण, मरम्मत, रखरखाव और कार्यशील व्ययों संबंधी परवर्ती प्रभारों, जो परिसंपत्तियों को चालू रखने के साथ-साथ स्थापना और प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के रोजमर्रा के संचालन हेतु किए गए अन्य सभी व्ययों के लिए आवश्यक होते हैं, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बजट प्राक्कलनों और सरकारी लेखाओं दोनों में पूंजी प्रकृति के व्यय तथा राजस्व व्यय भिन्न-भिन्न होते हैं। अत: सरकारी बजट में (एक) पूंजी बजट और (दो) राजस्व बजट शामिल होता है। बजट दस्तावेजों में मोटे तौर पर योजना और गैर-योजना संबंधी व्यय का ब्यौरे-वार विवरण, योजना परिव्ययों का क्षेत्र-वार आबंटन और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को अंतरित संसाधनों का ब्यौरा होता है।

सरकार की प्राप्तियां और भुगतान

बजट विवरण में भारत सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को तीन भागों अर्थात् (एक) भारत की संचित निधि; (दो) भारत की आकस्मिकता निधि; और (तीन) लोक लेखा में दर्शाया जाता है, जिनमें भारत सरकार के लेखाओं को रखा जाता है।

भारत की संचित निधि: भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोषीय बिलों को जारी कर सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण, अर्थोपाय ऋण, ऋणों की वापसी में सरकार द्वारा प्राप्त अग्रिम और सभी धन भारत की संचित निधि में जमा किए जाते हैं। सरकार के सभी खर्च इस निधि से किए जाते हैं और संसद की स्वीकृति के बिना इस निधि से कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती।

भारत की आकस्मिकता निधि: भारत की आकस्मिक निधि एक अग्रदाय है जो अविलंबनीय, अदृष्ट आकस्मिक खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार में होती है और जिसके लिए संसद की स्वीकृति लेनी होती है। इस प्रकार के खर्चों और भारत की संचित निधि से समतुल्य राशि आहरित करने के लिए संसदीय स्वीकृति बाद में ली जाती है और आकस्मिकता निधि से व्यय की गई राशि निधि में वापस की जाती है। संसद द्वारा प्राधिकृत निधि की आधारभूत निधि इस समय 500 करोड़ रु. की है।

लोक लेखा: भारत की संचित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों और खर्चों के अतिरिक्त, सरकारी लेखा में कतिपय अन्य लेनदेन प्रविष्ट होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में काम करती है, उदाहरण के लिए भविष्य निधि, लघु बचत, संग्रहण, अन्य जमा इत्यादि से संबंधित लेन-देन। इस प्रकार प्राप्त धन लोक लेखा में रखा जाता है और संबंधित भुगतान भी उसी से किया जाता है।

बॉक्स-2: बजट पर चर्चा के चरण

लोक सभा में	राज्य सभा में
(एक) बजट पर सामान्य चर्चा	(एक) बजट पर सामान्य चर्चा
(दो) लेखानुदान	(दो) विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार
(तीन) विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार	(तीन) मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा
(चार) अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान	(चार) विनियोग विधेयक पर विचार करना और लोक सभा को वापिस करना
(पांच) विनियोग विधेयक पर विचार और पारित करना	(पांच) वित्त विधेयक पर विचार करना और लोक सभा को वापिस करना
(छह) वित्त विधेयक पर विचार और पारित करना	

बजट पर सामान्य चर्चा

बजट पर सामान्य चर्चा सामान्यतया पहले लोक सभा में प्रारम्भ होती है और उसके बाद राज्य सभा में क्योंकि लोक सभा को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह इस पर चर्चा करे और इसमें यथोचित संसोधन करे।[1] जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाए उसके बाद अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाने वाले दिन और उतने समय के लिए जितना कि इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष नियत करे, सभा बजट पर सम्पूर्ण रूप से या उसमें अन्तर्निहित सिद्धांत के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है किंतु कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता और न ही इस अवस्था में बजट सभा के मतदान के लिए रखा जाता है। वित्त मंत्री को चर्चा के अंत में उत्तर देने का सामान्य अधिकार प्राप्त है।

इस प्रक्रम में चर्चा का क्षेत्र बजट की सामान्य योजना और उसके ढांचे की परीक्षा तक ही सीमित होता है। चर्चा इस बात तक सीमित रहनी चाहिए कि किसी मद विशेष के महत्व को तथा बजट बनाने के तरीके को ध्यान में रखते हुए क्या व्यय की मदों को बढ़ाया अथवा घटाया जाना चाहिए। बजट तथा वित्त मंत्री के भाषण में घोषित कराधान की नीति भी सामान्य चर्चा के क्षेत्र में ही आती है। इस प्रक्रम में ऐसी शिकायतें नियमानुकूल नहीं हैं जिनका संबंध वित्त मंत्री के भाषण में उठाई गई बातों से न हो या जो प्रस्तावित व्यय के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से न उठती हों। जब अनुदानों की मांगें तथा वित्त विधेयक सभा के समक्ष हों, तब विशेष बिंदुओं अथवा शिकायतों और कराधान तथा व्यय के ब्यौरों पर विचार किया जा सकता है।

लेखानुदान

चूंकि बजट प्रस्तुत करने से लेकर और अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है, इसलिए संविधान में एक उपबंध करके लोक सभा को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह अनुदानों की मांगों पर मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किये जाने की प्रक्रिया पूरी होने तक, किसी वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में कोई भी अग्रिम अनुदान स्वीकृत कर सकती है।

लेखानुदान का प्रयोजन यह है कि अंतिम अनुदान स्वीकृत किए जाने तक सरकार का काम चलता रहे। सामान्यतया लेखानुदान दो महीने के लिए लिया जाता है और यह राशि कुल मांग का लगभग छठा भाग होती है। चुनाव के वर्षों में लेखानुदान लम्बी अवधि के लिए लिया जाता है। सर्वप्रथम लेखानुदान संबंधी प्रक्रिया लोक सभा में 1951 के बजट सत्र में शुरू की गई थी। सामान्य बजट की भांति रेल बजट पर भी दो महीनों (अप्रैल-मई) के लिए लेखानुदान ले लिया जाता है ताकि रेल विभाग की अनुदान मांगों पर समिति द्वारा विचार किया जा सके।

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाना

वर्ष 1993 में भारतीय संसद के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ जब विभागों से सम्बद्ध 17 स्थायी समितियों का गठन किया गया। कार्यपालिका की नीतियों, विधायी तथा बजटीय प्रस्तावों आदि की शीघ्रता से जांच करने तथा संबंधित प्रतिवेदनों को दोनों सदनों में प्रस्तुत करने हेतु स्थायी समितियों का कार्य सुगम बनाने के लिए जुलाई, 2004 में स्थायी समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई।

प्रत्येक स्थायी समिति में अब 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 सदस्य अध्यक्ष द्वारा लोक सभा सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट किये जाते हैं और 10 सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट किये जाते हैं। विभागों से सम्बद्ध इन 24 स्थायी समितियों में से 8 राज्य सभा के क्षेत्राधिकार में और 16 लोक सभा के क्षेत्राधिकार में हैं। भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इन स्थायी समितियों के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों की जांच हेतु विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के नाम उनके क्षेत्राधिकार सहित इस प्रकार हैं:—

बॉक्स 3: लोक सभा/राज्य सभा के क्षेत्राधिकार में आने वाली विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां

लोक सभा के अंतर्गत आने वाली विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां	राज्य सभा के अंतर्गत आने वाली विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां
1. कृषि संबंधी समिति	1. वाणिज्य संबंधी समिति
2. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	2. विदेशी मामलों संबंधी समिति
3. रक्षा संबंधी समिति	3. मानव संसाधन विकास संबंधी समिति
4. ऊर्जा संबंधी समिति	4. उद्योग संबंधी समिति
5. विदेशी मामलों संबंधी समिति	5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी समिति
6. वित्त संबंधी समिति	6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति
7. खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति
8. श्रम संबंधी समिति	8. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति
9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	
10. रेल संबंधी समिति	
11. शहरी विकास संबंधी समिति	
12. जल संसाधन संबंधी समिति	
13. रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	
14. ग्रामीण विकास संबंधी समिति	
15. कोयला और इस्पात संबंधी समिति	
16. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	

[1] तथापि कुछ ऐसे अवसर हुए हैं जब यह चर्चा लोक सभा में आरम्भ होने से पहले राज्य सभा में प्रारम्भ हुई।

प्रत्येक स्थायी समिति के बजट संबंधी कृत्यों के साथ-साथ अन्य कृत्य भी इस प्रकार हैं:—

(एक) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना तथा उनके संबंध में सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में कटौती प्रस्ताव जैसी किसी बात का सुझाव नहीं दिया जाएगा, तथा

(दो) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

दोनों सभाओं में बजट पर सामान्य चर्चा पूरी होने के बाद दोनों सभाओं को एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है ताकि स्थायी समितियां अनुदानों की मांगों पर विचार कर सकें। ये समितियां अपने क्षेत्राधिकार में मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करती हैं तथा संबंधित प्रतिवेदन सदनों में प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार संसद कार्यपालिका के व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सक्षम है क्योंकि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की अनुदान-मांगों की, सभा में मतदान से पूर्व समिति द्वारा कड़ाई से जांच की जाती है।

अनुदान-मांगों पर चर्चा और मतदान

अनुदान-मांगें

भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय के प्राक्कलनों जिन्हें बजट विवरण में शामिल किया जाता है और जिन पर लोक सभा द्वारा मतदान अपेक्षित होता है, को अनुदान की मांगों के रूप में पेश किया जाता है। अनुदान की मांगों को न तो औपचारिक रूप से लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है और न ही उन्हें लोक सभा पटल पर रखा जाता है। ये बजट-पत्रों का ही भाग होती हैं और सदस्यों को बजट-पत्रों के साथ वितरित की जाती है।

लोक सभा के पास किसी मांग पर सहमति देने; या सहमति से इंकार करने या निर्धारित राशि की कमी के अध्यधीन किसी मांग पर सहमति देने का अधिकार है।

प्रत्येक मांग में, प्रथमत:, 'स्वीकृत' और 'प्रभारित' व्यय का कुल जोड़ और मांग में अलग-अलग शामिल 'राजस्व' तथा 'पूंजी' व्यय को और फिर उस व्यय की राशि के कुल जोड़ को दर्शाया जाता है जिसके लिए मांग प्रस्तुत की गई है। इसके पश्चात् विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय के प्राक्कलन दिये होते हैं। 'योजना' और 'गैर-योजना' के बीच प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय का ब्यौरा भी दिया होता है।

भारत की संचित निधि पर ''भारित'' व्यय के प्राक्कलन लोक सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सभा को इन पर विचार करने का पूर्ण अधिकार है। सदस्य भी उन मदों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं।

अनुदान-मांगों पर चर्चा

बजट प्रस्तुत होने के पश्चात्, संसदीय कार्य मंत्री मंत्रालयों की उन अनुदान-मांगों, जिन पर सभा में चर्चा की जानी है, के चयन और उन पर चर्चा के क्रम तथा उनके लिए समय निर्धारित करने के संबंध में, लोक सभा में दलों/ग्रुपों के नेताओं की एक बैठक करता है। सरकार इस बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर तैयार प्रस्तावों को कार्यमंत्रणा समिति के विचारार्थ भेजती है। कार्यमंत्रणा समिति सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् सभा के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। सभा द्वारा इस समिति का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् विभिन्न मंत्रालयों, जिनकी अनुदान-मांगों पर सभा में विचार किया जाना है, के लिए नियत समय को समाचार भाग-दो में प्रकाशित किया जाता है।

संसदीय कार्य मंत्री इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए और संबंधित मंत्रियों की सुविधा को देखते हुए, सभा में विभिन्न मंत्रालयों की मांगों पर विचार के लिए नियत तिथियों को दर्शाने वाली एक समय-सारणी तैयार करता है और इसे लोक सभा सचिवालय को भेजता है। इस सारणी को भी सदस्यों और मंत्रालयों की जानकारी के लिए समाचार भाग-दो में प्रकाशित किया जाता है।

अनुदान की मांगों को संबंधित मंत्री सभा में औपचारिक रूप से पेश नहीं करता है। इन्हें पेश किया मान लिया जाता है और पीठासीन अधिकारी इन्हें प्रस्तावित करता है। मंत्री, यदि चाहे तो, अपने मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू करा सकता है।

किसी मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय वाद-विवाद उस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी मामले तक सीमित रहता है और मांग के प्रत्येक शीर्ष को सभा में मतदान के लिए रखा जाता है। इस चरण में सदस्यगण चाहें तो किसी मंत्रालय विशेष द्वारा अनुपालित नीति का निरनुमोदन कर सकते हैं, या, मंत्रालय के प्रशासन में मितव्ययिता के उपायों के लिए सुझाव दे सकते हैं या विशिष्ट स्थानीय शिकायतों के प्रति मंत्रालय का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

कटौती प्रस्ताव

जब अनुदान-मांगों पर चर्चा की जाती है तो किसी भी अनुदान की मांग की राशि में कटौती करने के लिए प्रस्ताव पेश किये जा सकते हैं। इन प्रस्तावों को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव अनुदान-मांगों पर चर्चा आरम्भ करने का एक साधन है जिससे कि कटौती प्रस्ताव में उल्लिखित मामले पर सभा का ध्यान आकृष्ट किया जा सके। यह आवश्यक नहीं है कि चर्चा केवल कटौती प्रस्ताव पर ही प्रारम्भ हो। कटौती प्रस्ताव सामान्यतया विपक्ष के सदस्यों द्वारा रखे जाते हैं। सामान्यतया सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा ऐसी सूचनाएं नहीं रखी जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं उनकी सरकार के ही विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव समझा जा सकता है।

कटौती प्रस्तावों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: (एक) नीति-निरनुमोदन कटौती; (दो) मितव्ययिता कटौती; (तीन) सांकेतिक कटौती।

(एक) नीति-निरनुमोदन कटौती: जब किसी प्रस्ताव का उद्देश्य किसी मांग की नीति का निरनुमोदन करना हो तो इसका रूप यह होता है ''कि मांग राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।'' ऐसे कटौती प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य स्पष्ट शब्दों में उस नीति का ब्यौरा देता है जिस पर चर्चा करने का वह प्रस्ताव करता है। यह चर्चा सूचना में विनिर्दिष्ट बातों तक ही सीमित रहती है और सदस्य को किसी वैकल्पिक नीति के पक्ष में तर्क देने की छूट होती है।

(दो) मितव्ययिता कटौती: मितव्ययिता को अभ्यावेदित करने वाले कटौती प्रस्ताव का प्रारूप ऐसा है: ''कि मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाये।'' ऐसी उल्लिखित राशि या तो मांग में से एकमुश्त घटाई जाने वाली राशि होगी या मांग की किसी मद का विलोपन अथवा उसमें घटाई जाने वाली राशि होगी। सूचना देने वाला सदस्य संक्षेप में और स्पष्ट रूप से वह विषय दर्शाता है जिस पर चर्चा उठायी जानी अपेक्षित है तथा उसका भाषण इस बात की चर्चा करने के लिए ही सीमित होगा कि मितव्ययिता कैसे की जा सकती है।

(तीन) सांकेतिक कटौती: भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने हेतु इस रूप में पेश किया जाने वाला प्रस्ताव कि ''मांग की राशि में 100 रुपये कम किए जाएं'' सांकेतिक प्रस्ताव कहलाता है। ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्ताव में उल्लिखित शिकायत विशेष तक ही सीमित रहती है।

अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई कटौती प्रस्ताव स्वीकार्य है या नहीं।

बॉक्स 4: मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदन

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के संबंध में मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लोक सभा सचिवालय को भेजे जाते हैं। वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रतियां लोक सभा सचिवालय में प्राप्त होने पर सदस्यों को वितरित की जाती हैं।

बॉक्स 5: परिणामी बजट

वर्ष 2006 तक संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त निष्पादन बजटों की प्रतियों को अनुदानों की मांगों पर चर्चा के संबंध में सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता था। चूंकि, निष्पादन बजट दस्तावेजों में कुछ कमियां आ गई थीं। अत: वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2006 में परिणामी बजट की अवधारणा शुरू की जिसमें मंत्रालय/विभाग के संगठन और कार्यकरण संबंधी एक संक्षिप्त प्रारंभिक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य कार्यक्रमों/नीतियों की सूची, उसके अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा, बजट अनुमान, वास्तविक निष्पादन का योजनावार विश्लेषण तथा वित्तीय परिव्यय और परिणाम के बीच संबंध, हाल के वर्षों में किए गए व्यय की तुलना में बजट अनुमानों के समग्र रुझानों को सम्मिलित करते हुए उनकी समीक्षा, मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के निष्पादन की समीक्षा, सुधार संबंधी उपाय, लक्ष्य और उपलब्धियां तथा भावी सुधार हेतु योजना सम्मिलित होते हैं। तदनुसार, 25 अगस्त, 2005 को वित्त मंत्री ने पहली बार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित परिणामी बजट 2005-06 सभा के समक्ष रखा। मार्च, 2006 में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परिणामी बजट 2006-07 और निष्पादन बजट 2005-06 संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा के समक्ष अलग-अलग रखे गए। वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर, 2006 में निष्पादन बजट का विलय परिणामी बजट के साथ कर दिया। तदनुसार, 2007-08 के बजट के बाद से अनुदानों की मांगों पर चर्चा के संबंध में सदस्यों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का परिणामी बजट नामक एकल दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा है।

गिलोटीन

अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए नियत किए गए दिनों के अंतिम दिन पूर्व निर्धारित समय पर अध्यक्ष अनुदानों की सभी शेष मांगों को सभा के मतदान के लिए रखेगा। इस प्रक्रिया को गिलोटीन कहा जाता है। यह निर्दिष्ट समय के भीतर वित्तीय प्रस्तावों पर चर्चा को समाप्त करने का एक उपाय है। परिणामस्वरूप, सभा को शेष मांगें बिना चर्चा किए ही स्वीकृत करनी पड़ती हैं।

जब गिलोटीन करने का समय आता है तो अध्यक्ष उस सदस्य अथवा मंत्री, जो उस समय सभा में बोल रहा हो, को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहता है और पेश किए गए कटौती प्रस्ताव तुरंत सभा को मतदान के लिए रखे जाते हैं और निपटाए जाते हैं। तत्पश्चात्, चर्चाधीन अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखा जाता है तथा उन्हें निपटाया जाता है। उसके पश्चात्, पेश किए गए अनुदानों की शेष मांगों के कटौती प्रस्ताव निपटाए जाते हैं और शेष मांगें गिलोटीन कर दी जाती हैं।

विनियोग विधेयक पर विचार और उसे पारित किया जाना

लोक सभा द्वारा अनुदानों की मांगों को प्रदान की गई स्वीकृति, अनुदान की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से अपेक्षित धनराशि जारी किए जाने को प्राधिकृत नहीं करती है। संविधान में यह निर्धारित है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग को छोड़कर भारत की संचित निधि में से कोई राशि नहीं निकाली जाएगी। अत:, संगत विनियोग विधेयक, लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों को पूरा करने के लिए भारत की संचित में से किसी धनराशि का विनियोग करने के लिए, एकमात्र पूर्ण विधिक प्राधिकारी है। लोक सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत कर लिए जाने के बाद विनियोग विधेयक लोक सभा में पुर:स्थापित किया जाता है। इस विधेयक के पुर: स्थापन का विरोध नहीं किया जा सकता। विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक महत्व के या विधेयक के अंतर्गत आने वाली अनुदान विहित प्रशासकीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जिसे पहले उस समय नहीं उठाया गया था जब संगत अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी।

लोक सभा द्वारा विनियोग विधेयक पारित किए जाने के पश्चात् उसे सिफारिशों हेतु राज्य सभा को भेजा जाता है। राज्य सभा को, विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश/सिफारिशों सहित अथवा बिना कोई सिफारिश किए उसे लोक सभा को लौटाना होता है। लोक सभा, राज्य सभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है।

वित्त विधेयक पर विचार और उसे पारित किया जाना

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा सामान्य बजट प्रस्तुत किए जाने के तत्काल बाद ही वित्त विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक को पुर:स्थापित करने संबंधी अनुमति-प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जा सकता। संविधान के उपबंधों के अनुसार वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोक सभा में पुर: स्थापित किया जाता है। वित्त विधेयक पर संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड (क) के उपबंध अनिवार्यत: लागू होते हैं, अर्थात् किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन किया जाता है और इसे अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है।

वित्त विधेयक का उद्देश्य अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को मूर्त रूप देना होता है। वित्त विधेयक उन सभी अधिनियमों को सदन के अधिकार क्षेत्र में ला देता है जिन पर इसमें विचार किया जाता है अर्थात् आय कर अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम आदि, और सदन उस सीमा तक, जिस सीमा तक इस वित्त विधेयक पर विचार किया गया है, सभी अधिनियमों या इन अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम में संशोधन कर सकता है। एक वर्ष के दौरान एक से अधिक वित्त विधेयक हो सकते हैं। चुनाव वर्ष में सामान्यत: बजट दो बार प्रस्तुत किया जाता है और दो वित्त विधेयक पुर:स्थापित किए जाते हैं।

वित्त विधेयक में सामान्यत: अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अंतर्गत इस आशय की एक घोषणा होती है कि सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क लगाने और उनमें वृद्धि करने संबंधी विधेयक के कुछ उपबंध तुरंत लागू होंगे। उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार घोषित उपबंध विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने वाले दिन की समाप्ति पर लागू हो जाते हैं और विधेयक के पुर:स्थापन के पचहत्तर दिन की समयावधि बीत जाने पर यह कानून प्रभावी नहीं होगा। अत: वित्त विधेयक के पुर:स्थापन के पचहत्तर दिन की समयावधि के भीतर इसे पारित और उस पर अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अत: परम्परानुसार, वित्त विधेयक को जांच और प्रतिवेदन हेतु स्थायी समिति को नहीं भेजा जाता।

वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्य, सामान्य प्रशासन, भारत सरकार के दायित्व के क्षेत्र में आने वाली स्थानीय शिकायतों या सरकार की आर्थिक या वित्तीय नीति से संबंधित मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। सदस्य भारत सरकार के किसी भी कार्य पर चर्चा कर सकते हैं। परंतु, वित्त विधेयक पर चर्चा के समय राज्य सरकार के कार्यों की आलोचना नहीं की जा सकती।

वार्षिक कराधान संबंधी प्रस्तावों वाले वित्त विधेयक पर लोक सभा द्वारा केवल तभी विचार किया जाता है और उसे पारित किया जाता है जब सभा में अनुदानों की मांगें स्वीकार कर ली गई हों और कुल खर्च ज्ञात हो। तथापि, किसी ऐसे विधेयक पर अनुदानों की मांगें स्वीकृत होने से पहले विचार करने पर कोई सांविधिक प्रतिबंध नहीं है, जिसमें कराधान संबंधी स्थायी उपबंध दिए गए हों।

लोक सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किए जाने के बाद इसे राज्य सभा को उसकी सिफारिशों हेतु भेजा जाता है। वित्त विधेयक के एक धन विधेयक होने के कारण, यह अपेक्षित है कि राज्य सभा उसके प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर उसे सिफारिश(शों) के साथ अथवा उसके बिना वापस भेज दे। यदि राज्य सभा अपनी सिफारिश(शों) के साथ विधेयक वापस करती है तो लोक सभा, राज्य सभा द्वारा की गई सभी अथवा किसी सिफारिश को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है। तथापि, यदि राज्य सभा 14 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर विधेयक वापस नहीं करती है तो इसे उक्त अवधि के समाप्त होने पर संसद की दोनों सभाओं द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में इसे लोक सभा में पारित किया गया था।

बजट पश्चात् अन्य उपाय

यद्यपि, देश के वित्तीय मामलों में बजट पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करके संसदीय सर्वोच्चता को बनाए रखा जाता है तथापि अनुच्छेद 115 और 116 के अंतर्गत संविधान में धन की अतिरिक्त, अधिक, अपवादात्मक और अप्रत्याशित मांगों को पूरा करने हेतु भी उपबंध किया गया है। इनमें अनुदान की अनुपूरक मांगें, सांकेतिक अनुदान, अधिक अनुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान शामिल हैं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें: यदि किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के बजट में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर, उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई धनराशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा। अनुपूरक अनुदानों की मांगों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही दोनों सभाओं के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इनके द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

सांकेतिक अनुदान: जब किसी "नई सेवा" पर प्रस्तावित व्यय के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धन उपलब्ध किया जा सके तो किसी सांकेतिक राशि के अनुदान की मांग सभा में मतदान के लिए रखी जाती है और यदि सभा उस मांग पर अनुमति दे दे, तो धन इस तरह उपलब्ध करा दिया जाता है। सांकेतिक अनुदान सामान्यत: अनुदानों की अनुपूरक मांगों का ही हिस्सा होता है।

अतिरिक्त अनुदानों की मांग: यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर इस वर्ष के लिए अनुदत राशि से अधिक व्यय हो गया हो, तो राष्ट्रपति सभा में ऐसी अधिक राशि के लिए मांग पेश करवाता है। अधिक व्यय वाले ऐसे सभी मामले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं संबंधी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से संसद के ध्यान में लाये जाते हैं। तब लोक लेखा समिति द्वारा इस अधिक व्यय की जांच की जाती है जो उनके नियमितीकरण के बारे में अपने प्रतिवेदन में सभा से सिफारिश करती है। तत्पश्चात् सरकार अतिरिक्त अनुदान की मांगें लोक सभा में पेश करती है। अतिरिक्त अनुदान की मांगें उस सत्र में जिसमें लोक लेखा समिति उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, अथवा उससे अगले सत्र में सभा में पेश की जानी होती है।

प्रत्ययानुदान: किसी राष्ट्रीय आपात-स्थिति के कारण सरकार को किसी अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके लिए विस्तृत प्राक्कलन नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में सभा प्रत्ययानुदान की स्वीकृति देकर बिना विवरण के एक मुश्त राशि प्रदान कर सकती है।

अपवादानुदान: आपवादिक अनुदान ऐसे किसी विशिष्ट तथा विशेष प्रयोजन के लिए, जो उस वित्तीय वर्ष के सामान्य व्यय का हिस्सा नहीं होता है, दिया जाता है। उस दशा में, सभा उस विशेष प्रयोजन के लिए अलग से धनराशि दे सकती है।

अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक अथवा आपवादिक अनुदान तथा प्रत्ययानुदान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो चाहे रूपभेद के हों, कुछ जोड़कर अथवा लोप करके किए गए हों, जैसा कि अध्यक्ष आवश्यक या समीचीन समझें; उसी प्रक्रिया से विनियमित होते हैं जो अनुदान की मांगों के संबंध में लागू होती हैं। प्रत्ययानुदान अथवा आपवादिक अनुदान की कोई भी मांग अभी तक संसद में पेश नहीं की गई है।

राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्य का बजट

राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्य का बजट लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य के बजट के मामले में भी अध्यक्ष के निदेशानुसार रूपभेदों अथवा उपान्तरणों के साथ, केन्द्रीय सरकार के बजट के संबंध में पालन की जाने वाली प्रक्रिया का ही पालन किया जाता है।

चूंकि बजट, संसद में, विशेषत: लोक सभा में विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, अत: सदस्यों को देश के वित्तीय और आर्थिक नीति निर्माण में भाग लेने और योगदान देने के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है।

श्री पी.के. मिश्र, अपर सचिव और श्री सी.एन. सत्यनाथन, निदेशक की देखरेख में डॉ. बी.सी. जोशी, अपर निदेशक और श्री जयंत कुमार सामल, शोध अधिकारी, लोक सभा सचिवालय द्वारा सदस्यों के उपयोग और जानकारी हेतु तैयार किया गया। इस बुलेटिन का हिन्दी अनुवाद संपादन और अनुवाद सेवा के निदेशक, श्री नवीन चन्द्र खुल्बे और संयुक्त निदेशक, श्री डी.आर. मेहता के मार्गनिर्देशन में किया गया।